राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग,
सातवां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली ।

फा.सं0 5(01) 2019–20–क0सं0एवं भाषा/604–703 दिनांकः 9/9/2020

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली.

**विषयः हिन्दी दिवस के अवसर पर माननीय मुख्य सचिव, दिल्ली का संदेश ।**

महोदय,

दिल्ली सरकार तथा इसके अधीनस्थ स्थानीय निकायों के कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने, इसका अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार करने और अधिकारियों/कर्मचारियों में हिन्दी में कार्य करने के प्रति रूचि पैदा करने के उद्देश्य से कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष अनेक योजनाएं एवं कार्यक्रम चलाये जाते हैं। इसके अलावा सरकारी कार्यालयों में हिन्दी की प्रगति को सुनिश्चित करने के लिये दिल्ली सरकार के समस्त विभागों को समय–समय पर आवश्यक निदेश भी जारी किये जाते हैं। चूंकि दिल्ली राजभाषा अधिनियम, 2000 में हिन्दी को दिल्ली की प्रथम राजभाषा घोषित किया गया है। अतः आवश्यक हो गया है कि जनसाधारण से सीधे सरोकार रखने वाले समस्त सरकारी कार्य राजभाषा हिन्दी में ही किये जाने चाहिएं।

आपसे अनुरोध है कि 14 सितम्बर, 2020 को **"हिन्दी दिवस"** के अवसर पर माननीय मुख्य सचिव, दिल्ली का संदेश अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी में लाने के लिये परिचालित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

9/8/20

**( संजय जैन )**
**उप–सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)**

**फा.सं0 5(01) 2019–20–क0सं0एवं भाषा/604–703**
**दिनांकः 9/9/2020**

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–**

1. सचिव, माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास मार्ग, दिल्ली ।
2. सचिव, माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली ।
3. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री/परिवहन मंत्री/वित मंत्री/श्रम मंत्री/समाज कल्याण मंत्री/खादय एवं आपूर्ति मंत्री/स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली ।
4. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, 5वां तल, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं कार्यकारी अध्यक्ष, हिन्दी कार्यान्वयन समिति जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय,तीस हजारी, दिल्ली।
6. अतिरिक्त आयुक्त पुलिस (प्रशासन), दिल्ली पुलिस मुख्यालय, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली।
7. आयुक्त, दक्षिण/उत्तर, दिल्ली नगर निगम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सैन्टर, मिन्टो रोड़, नई दिल्ली।
8. आयुक्त, पूर्व दिल्ली नगर निगम, 419, उद्योग सदन, पटपटगंज, औद्योगिकी क्षेत्र, दिल्ली–92.
9. हिन्दी अधिकारी, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्, पालिका केन्द्र, नई दिल्ली।
10. प्रबंधक, राजभाषा अनुभाग, दिल्ली परिवहन निगम, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली ।
11. महाप्रबंधक (प्रशासन), दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, शक्ति सदन, कोटला रोड़, आई0पी0एस्टेट, नई दिल्ली ।
12. प्रबंधक (मा.सं.), प्रशिक्षण एवं हिन्दी अनुभाग, इन्द्रप्रस्थ पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, ओ एंड एम भवन राजघाट पावर हाउस, नई दिल्ली–02.
13. निदेशक (कार्मिक), दिल्ली जल बोर्ड, वरूणालय फेस–2, झण्डेवालान, नई दिल्ली ।
14. प्रशासनिक अधिकारी, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, यू.टी.सी.एस. बिल्डिंग, विश्वास नगर, दिल्ली ।
15. दिल्ली सरकार के समस्त स्वायत्त निकाय/निगम, दिल्ली/नई दिल्ली।
16. दिल्ली सरकार के अंतर्गत समस्त समितियाँ/बोर्ड/परिषद्/संगठन, दिल्ली/नई दिल्ली।
17. कला, संस्कृति एवं भाषा की वेबसाइट पर उपलोड करने के संदर्भ में।

9/8/20

**( संजय जैन )**
**उप–सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा )**

विजय कुमार देव
VIJAY KUMAR DEV, I.A.S

सत्यमेव जयते

मुख्य सचिव
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
**Chief Secretary**
Government of NCT of Delhi

# संदेश
## "हिन्दी दिवस"

**14 सितम्बर, 2020**

"हिन्दी दिवस" के अवसर पर आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।

भारत की सारी भाषायें हमारे लिये आदरणीय है लेकिन देश को एक सूत्र में पिरोने के लिये राजभाषा हिन्दी के प्रचार–प्रसार को बढ़ाने की आवश्यकता है। 14 सितम्बर, 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिन्दी भाषा को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसी संदर्भ में प्रत्येक वर्ष 14 सितम्बर को मनाये जाने वाले **"हिन्दी–दिवस"** का विशेष महत्व है।

जैसाकि आपको विदित ही होगा कि दिल्ली राजभाषा अधिनियम, 2000 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में दिनांक 26.1.2004 से प्रभावी हो चुका है, जिसमें हिन्दी को प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ऐसी परिस्थितियों में हिन्दी भाषा के प्रचार–प्रसार का उत्तरदायित्व हम सभी पर है।

संघ और दिल्ली की राजभाषा नीति का आधार सद्भावना, प्रेरणा और प्रोत्साहन है। संघ की राजभाषा होने के कारण हम सभी का यह संवैधानिक दायित्व है कि हम राजभाषा संबंधी अनुदेशों का अनुपालन उसी दृढ़ता और तत्परता के साथ करें, जिस प्रकार अन्य सरकारी अनुदेशों का अनुपालन करते है। हम स्वयं अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में करते हुए अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों से भी राजभाषा अधिनियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं ताकि आम आदमी सभी सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ उठा सके।

14 सितम्बर, 2020 को मनाये जाने वाले हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में मेरा दिल्ली सरकार तथा इसके अधीनस्थ समस्त निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध है कि उन्हें यह संकल्प लेना चाहिये कि अपने दैनिक कामकाज में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करें। मेरा समस्त विभागाध्यक्षों से भी यह अनुरोध है कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को सरकारी कामकाज में आसान हिन्दी का प्रयोग किए जाने के लिये प्रेरित करें।

आइए, हिन्दी दिवस के इस पावन अवसर पर – राजभाषा तथा भारत की जनभाषा, दोनों रूपों में हिन्दी के विकास के प्रति हम अपने आपको समर्पित करें।

हिन्दी दिवस के अवसर पर आप सभी को पुनः मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

(विजय कुमार देव)
मुख्य सचिव, दिल्ली.

दिल्ली सचिवालय, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली-110002, फोन : 011-23392100, 011-23392101, फैक्स : 011-23392102

DELHI SECRETARIAT, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002, Tel. : 011-23392100, 011-23392101 Fax : 011-23392102
E-mail : csdelhi@nic.in